न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः– 27/2022

1. अमर सिंह
2. कर्ण सिंह
3. महाबीर सिंह
4. राजेन्द्र सिंह
5. विजय सिंह
6. शेर सिंह

तमाम पुत्रगण छत्तू सिंह, जातिगण राजपूत, निवासी पीपली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं

–– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार, सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
2. बिहारीलाल शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा
3. विश्वनाथ शर्मा पुत्र लक्ष्मणराम शर्मा
4. सुरेश शर्मा पुत्र लक्ष्मणराम शर्मा
5. दीनदयाल शर्मा पुत्र किशोरीरालाल शर्मा
6. मोहित पुत्र बाबूलाल शर्मा
7. प्रभुदयाल शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा
8. रतनलाल शर्मा पुत्र ईश्वरदास शर्मा
9. फूलकुमार शर्मा पुत्र ईश्वरराम शर्मा
10. सुभाष शर्मा पुत्र ब्रजलाल शर्मा
11. अमित कुमार पुत्र रघुवीर धनकड
12. छोटेलाल शर्मा पुत्र किशनलाल शर्मा
13. कुंदनलाल शर्मा पुत्र सुगनाराम शर्मा
14. धर्मपाल शर्मा पुत्र जयनारायण शर्मा
15. हनुमान प्रसाद शर्मा पुत्र रामजीलाल शर्मा
16. राजेश शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा
17. निरंजन शर्मा पुत्र भगवानाराम शर्मा
18. हरिश कुमार शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद शर्मा
19. कैलाश शर्मा पुत्र लक्ष्मणराम शर्मा
20. मुरारी पुत्र बजरंगलाल शर्मा
21. कृष्णा पत्नि जवाहरलाल शर्मा
22. जगदीश प्रसाद पुत्र ब्रजलाल शर्मा
23. होशियार सिंह पुत्र भगवानाराम शर्मा

    समस्त जातिगण ब्राह्मण, निवासी पीपली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
24. रतन कंवर पत्नि मंगेज सिंह, जाति राजपूत, निवासी पीपली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:26 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्व नामान्तरकरण आदेश सं0 1910 दिनांक [illegible].2022 तहसीलदार सूरजगढ वाके ग्राम पीपली, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

– – –

उपस्थितः–

1. श्री मुश्ताक खान/आबिद अली, अभिभाषक– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेश पूनिया, अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट्स सं0 2 लगायत 23 की ओर से उपस्थित।
3. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट्स सं0 24 की तलबी बन्द।

आदेश

दिनांक 31.10.2022

उक्त विषयक अपील मय प्रार्थना पत्र स्थगन के विद्वान तहसीलदार सूरजगढ के नामान्तरकरण आदेश संख्या 1910 दिनांक 26.04.2022 वाके ग्राम पीपली के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। वाके ग्राम पीपली तहसील सूरजगढ की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 हैक्टर खसरा नम्बर 394 रकबा 1.30 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट व स्वर्गीय रतन कंवर पत्नि मंगेज सिंह की सहखातेदारी व टीनेन्सी की भूमि है जिसको अपीलान्ट मौके पर भौतिक रूप से काश्त करते है व काबिज है। उक्त विवादित भूमि पर ग्राम पीपली के स्वर्गीय भगवानाराम वगै0 ने अदालत मातहत मे एक दावा उनवानी भगवानाराम वगै0 बनाम महाबीर सिंह वगै0 मु0न0 4/14 बाबत घोषणार्थ, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र का अपीलान्ट ने अदालत मातहत मे जबाब दावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। उक्त वादीगण भगवानाराम वगै0 ने अपीलान्ट के काउन्टर क्लेम का प्रति जबाबदावा प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण मे अदालत मातहत द्वारा तनकी कायम करने के बाद दोनों पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद उक्त वादपत्र उनवानी भगवानाराम बनाम महाबीर सिंह वगै0 दिनांक 12.11.2021 को खारिज फरमा दिया गया और अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया गया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2021 के विरूद्व स्वर्गीय भगवानाराम के वारिसान वगै0 ने श्रीमान्जी के न्यायालय मे अपील उनवानी मृतक भगवानाराम वगै0 बनाम महाबीर सिंह वगै0 मु0न0 91/21 प्रस्तुत की तथा काउन्टर क्लेम के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.11.2021 के विरूद्व उक्त सभी ने अपील उनवानी मृतक भगवानाराम वगै0 बनाम महाबीर सिंह वगै0 अपील नं0 92/21 श्रीमान्जी के न्यायालय मे प्रस्तुत की। उक्त अपील के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र स्थगन प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान्जी द्वारा दिनांक 30.11.2021 को विवादित भूमि खसरा नम्बर 393 व खसरा नं0 392 वाके ग्राम पीपली की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए उभय पक्षकारान् को पाबन्द फरमाया गया। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 23 ने हल्का पटवारी व तहसीलदार सूरजगढ से मिलकर दिनांक 23.11.2021 को एक झूठी व मनगढन्त टाईपशुदा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की। उक्त तथाकथित झूठी व मनगढन्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार सूरजगढ द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष एक दावा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम अमरसिंह वगै0 बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 व धारा 92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 24.11.2021 को तहसीलदार सूरजगढ के हस्ताक्षरशुदा प्रस्तुत किया। बाद तामिल अपीलान्ट 1 लगायत 3 व 5 लगायत 6 की ओर से दिनांक 21.12.2021 को श्री सुरेन्द्र सिंह तंवर एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 21.12.2021 को अदालत मातहत द्वारा वास्ते तामिल प्रतिवादी सं0 4 व 7 व जबाब दावा हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.01.2022 नियत की गई। इसी दौरान दिनांक 27.12.2021 को सूरजगढ उपखण्ड मुख्यालय पर सिविल न्यायालय को खुलवाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार करने का निर्णय करने के उपरान्त अधिवक्तागण न्यायालय मे उपस्थित नही हुए। उक्त कार्य बहिष्कार दिनांक 22.02.2022 तक रहा। दिनांक 21.12.2021 के पश्चात् अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.01.2022, 08.02.2022, 28.02.2022 व 04.03.2022 नियत की गई। दिनांक 04.03.2022 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.03.2022 नियत की गई जिसकी जानकारी अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता को नही दी गई। इसी कारण दिनांक 11.03.2022 को अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता अदा[illegible] मे उपस्थित नही हुए। अदालत मातहत ने दिनांक 11.03.2022 को प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 के वि[illegible]क्षीय कार्यवाही अमल मे लाये जाने का आदेश प्रदान किया तथा आगामी ता[illegible] 15.0[illegible]22 नियत की गई। दिनांक 15.03.2022 को अदालत मातहत द्वारा अपनी अधिकारिता मे तथाकथि[illegible] से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को समरी ट्राईल से प्रभावित होना मानकर बिना कोई साक्ष्य व [illegible] स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2022 प्रदान की है जिसके आधार पर नाजायज व गैरकानूनी रूप से नामान्तरकरण सं0 1910 दिनांक 26.04.2022 के हल्का गिरदावर व पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सूरजगढ के आधार पर नामान्तकरण सं0 1910 नाजायज व गैरकानूनी रूप से स्वीकार करने के आदेश प्रदान किये है जिससे व्यथित होकर अपील निम्न उजरात के साथ प्रस्तुत है कि अदालत मातहत का नामान्तरकरण आदेश संख्या 1910 दिनांक 26.04.2022 खिलाफ कानून व विरूद्व पत्रावली है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम से एक दावा उनवानी राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी नायब तहसीलदार सूरजगढ बनाम अमरसिंह वगै0 प्रस्तुत किया गया। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:26 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र पर राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी नायब तहसीलदार सूरजगढ के हस्ताक्षर नही है वरन् उक्त वादपत्र पर तहसीलदार सूरजगढ के हस्ताक्षर है। उक्त वादपत्र को कानूनन नायब तहसीलदार सूरजगढ को तस्दीक करना आवश्यक था। इसके विपरीत वादपत्र पर हस्ताक्षर तहसीलदार सूरजगढ द्वारा किये गये है। इसी प्रकार वादपत्र को तस्दीक भी वादी नायब तहसीलदार सूरजगढ की जगह तहसीलदार सूरजगढ द्वारा किया गया है जबकि वादपत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र नायब तहसीलदार सत्यनारायण के नाम से तहसीलदार द्वारा बिना तस्दीकशुदा प्रस्तुत किया गया है। दावा कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत होने के कारण रेस्पोडेन्ट का वादपत्र मेन्टेनेबल नही होने के कारण खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नही कर कानूनी भूल की है। ऐसी सूरत मे अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2022 के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण आदेश सं0 1910 दिनांक 26.04.2022 खिलाफ कानून व विरूद्व पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 23 ने तहसीलदार सूरजगढ से मिलकर दिनांक 23.11.2021 को हल्का पटवारी से एक झूठी व मनगढन्त टाईपशुदा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की। उक्त तथाकथित झूठी व मनगढन्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार सूरजगढ द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष एक दावा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम अमरसिंह वगै0 बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 व धारा 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 24.11.2021 को तहसीलदार सूरजगढ के हस्ताक्षरशुदा प्रस्तुत किया। उक्त टाईपशुदा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.11.2021 मौके के विपरीत प्रस्तुत की। विवादित भूमि खसरा नम्बर 393 व 394 राजस्व रिकार्ड मे काबिल काश्त भूमि दर्ज होने के बावजूद नाजायज व गैरकानूनी रूप से दुकान व अन्य अकृर्षि प्रयोजनार्थ दर्शा कर प्रस्तुत की है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट अपीलान्ट को बिना सूचना दिये तैयार की गई है। ना ही फर्द मौका रिपोर्ट पर किसी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर है। फर्द मौका रिपोर्ट संदेह से परे नही है। अदालत मातहत ने फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 23.11.2021 को आधार मानकर निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2022 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 1910 दिनांक 26.04.2022 दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्व है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 हैक्टर व खसरा नम्बर 394 रकबा 1.30 हैक्टर कुल 1.55 हैक्टर भूमि के अपीलान्ट व स्वर्गीय श्रीमती रतन कंवर पत्नी मंगेज सिह रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अदालत मातहत का कोई सम्मन अपीलान्ट शेरसिह को प्राप्त नही हुआ। अपीलान्ट शेरसिह केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवारत है तथा वह गृह मंत्रालय दिल्ली में सेवारत है। अपीलान्ट शेरसिह के विरूद्ध अदालत मातहत द्वारा बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये एकपक्षीय आदेश नाजायज व गैरकानूनी रूप से प्रदान किया गया है। इसलिये अपीलान्ट शेरसिह को अदालत मातहत द्वारा सुनवाई का कोई मौका प्रदान नही किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट शेरसिह के विरूद्ध बिना तामील के एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार अपीलान्ट शेरसिह को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक रहा है। ऐसी सूरत में अदालत मातहत का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2022 के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण सं. 1910 दिनांक 26.04.2022 खिलाफ कानून व विरूद्ध पत्रावली है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 393 व खसरा नम्बर 394 के सह खातेदार प्रतिवादी सं. 4 रतन कंवर का स्वर्गवास दिनांक 11.07.2013 को हो चुका है। कानूनन मृतका रतन कंवर के विरूद्ध वादी को वाद दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नही रहा है। वादी द्वारा मृतक रतन कंवर के वारिसान को भी वादपत्र में आवश्यक पक्षकार नही बनाकर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत द्वारा उक्त उनवानी पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 11.03.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली दिनांक 15.03.2022 को वास्ते बहस नियत कि गई। अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 द्वारा एक [illegible] नियम 10 जा0दी0 सपठित धारा 151 प्रस्तुत की। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 द्वारा [illegible] पत्र किस तारीख को प्रस्तुत किया उसका कोई विवरण आदेशिका में दर्ज [illegible] पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किये [illegible] आदेश दिया गया। आदेशिका में यह भी अंकित नही है कि उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] द्वारा स्वीकार किया गया। अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा[illegible] को स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार कि कोई विधिक प्रकिया की पालना नही गई व ना ही उक्त प्रार्थना पत्र के साथ कोई संशोधन उनवान (टाईटल) रिकार्ड पर लिया गया। इससे भी यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 23 से सांठगांठ कर बिना संशोधन टाईटल रिकार्ड पर लिये किस प्रकार आदेश दिनांक 15.03.2022 में पक्षकारों का संयोजन किया गया है। अदालत मातहत द्वारा मनमाने तरीके से कानूनी प्रकिया व कानूनी प्रावधानो की पालना नही की है न ही अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:26 IST
Reason: SelfAttested

23 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0आ0 1 नियम 10 जा0दी0 व धारा 151 की नकल दी गई व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी सूरत में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 के नाजायज रूप से आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 द्वारा एक जवाबदावा बिना तारीख के इन्द्राज के प्रस्तुत किया गया है उक्त जवाबदावा पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने का व शामिल करने का कोई आदेश आदेशिका दिनांक 11.03.2022 व 15.03.2022 में नही किया गया है। इसरी प्रकार रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 द्वारा प्रस्तुत उक्त तथाकथित जवाब दावा की कोई नकल अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता को नही दी गई। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा तस्दीकशुदा नही है इस कारण जब तक जवाबदावा तस्दीकशुदा नही किया जा सकता है व ना ही उसको पढा जा सकता है। अदालत मातहत द्वारा मनमाने तरीके से उक्त जवाबदावा शामिल पत्रावली कर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप कोर्ट झुंझुनूं के समक्ष अपील उनवानी मृतक भगवानाराम वगै बनाम महाबीर सिह वगै मु0न0 91/21 व मु0न0 92/21 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन पर उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2021 को उभय पक्षकारान को भूमि खसरा नम्बर 393 व खसरा नम्बर 394 वाकै ग्राम पीपली के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया अदालत हाजा द्वारा दिनांक 30.03.2022 को उक्त उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.05.2022 नियत कि गई रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 के अधिवक्ता द्वारा दोनो अपीलों में दिनांक 07.04.2022 को अदालत हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 30.11.2021 को विड्रा करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त आदेश दिनांक 07.04.2022 को अदालत हाजा द्वारा अपास्त करने के आदेश प्रदान किये उक्त स्थगन आदेश दिनांक 30.11.2021 से दिनांक 07.04.2022 तक प्रभावी रहा है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप कोर्ट झुंझुनूं के आदेश दिनांक 30.11.2021 के आदेश की अवमानना करते हुये अदालत मातहत में दिनांक 15.03.2022 से पूर्व उक्त वादपत्र सं0 414/21 में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 व जवाब दावा प्रस्तुत किया तथा अदालत मातहत को अपने नाजायज प्रभाव में लेकर अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना ही अदालत मातहत ने निर्णय व डिकी दिनांक 15.03.2022 प्रदान किया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 393 व ख0न0 394 बाबत रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष एक दावा उनवानी मृतक भगवानाराम वगै0 बनाम महावीर सिह वगै0 मुकदमा नं0 4/14 बाबत घोषणार्थ स्थाई निषेधाज्ञा व खाता विभाजन प्रस्तुत किया जो कि दिनांक 12.11.2021 को खारिज फरमाया जा चुका है। इसी प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टरक्लेम दिनांक 12.11.2021 को स्वीकार फरमाया जाकर डिकी फरमाया गया उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 12.11.2021 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 द्वारा श्रीमान जी के न्यायालय में दो अपील सं0 91/21 व 92/21 प्रस्तुत की है जो कि सुनवाई हेतु श्रीमान जी के न्यायालय में लंबित है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.05.2022 नियत हैं। कानूनन रेस्पोडेन्ट सं0 1 को रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 से मिलकर अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। पूर्ववर्ती वादपत्र व मौजूदा वादपत्र में एक ही पक्षकारान व एक ही विषय वस्तु होने के कारण पक्षकारान के मध्य दूसरा वादपत्र कानूनन बाधित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत वादपत्र चूकि रेसज्यूडीकेटा की श्रेणी में आता है जो कि धारा 11 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरित प्रस्तुत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 हैक्टर व ख0न0 394 रकबा 1.30 हैक्टर कुल 1.55 हैक्टर भूमि [illegible] अमर सिह कर्ण सिह महावीर सिह राजेन्द्र सिह विजय सिह व शेरसिह [illegible] में हिस्सा बराबर 1/9, 1/9 खातेदारी काश्तकारी में दर्ज है शेष 1/3 हिस्सा भूमि स्वर्गीय रत[illegible]र कि खातेदारी कास्तकारी में दर्ज अविभाजित भूमि हैं उक्त वर्णित विवादित भूमि [illegible] अपीलान्ट अमर सिह कर्णसिह महावीर सिह व राजेन्द्र सिह ने अपना अपना 1/3 हिस्सा भूमि राजस्थान ग्रामीण बैंक डुलानिया से ऋण लेकर उक्त बैंक के यहा रहन की गई है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत वाद पत्र सं0 414/21 में उक्त बैक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा डुलानिया को आवश्यक पक्षकार नही बनाकर नुक्श होने के कारण अदालत मातहत का निर्णय व डिकी दिनांक 15.03.2022 के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण सं. 1910 दिनांक 26.04.2022 खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत मे अपीलान्ट सं0 1 लागयत 5 तामील होने के बाद जरिये अधिवक्ता पैरवी हेतु श्री सुरेन्द्र सिह अधिवक्ता उपस्थित होते रहे है। इसलिए अपीलान्ट दिनांक 12.03.2022 को अदालत मातहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:26 IST
Reason: SelfAttested

में उपस्थित नही हुये अपीलान्ट के अधिवक्ता सुरेन्द्र सिह अपर सिविल न्यायाधीश पिलानी के न्यायालय में व्यस्त होने के कारण एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ द्वारा तारीख पेशी दिनांक 12.03.2022 की जानकारी नही देने के कारण अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता अदालत मातहत में उपस्थित नही होने के कारण अपीलान्ट सं0 1 लगायत 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश प्रदान किया। अपीलान्ट सं0 6 शेरसिह को अदालत मातहत का कोई सम्मन प्राप्त नही हुआ है। अपीलान्ट शेरसिह को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान किया गया है। इसके बावजूद अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.03.2022 में अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नाजायज व गैर कानूनी रूप से की गई है। कानूनन अपीलान्ट को मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2022 प्रदान करनी चाहिये थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा कानूनी प्रकिया की पालना किये बगैर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय व डिकी 15.03.2022 प्रदान किया है। विवादित आराजी चूंकि अपीलान्ट व सहखातेदार मृतका रतन कंवर की खातेदारी की टीनेन्सी का खेत है। मृतका रतन कंवर के वारिसान को आवश्यक पक्षकार नही बनाकर कानूनी भूल की है। मृतका रतन के रतन कंवर के विरूद्ध वादपत्र चलने योग्य नही है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 को अदालत मातहत ने उनको अनुचित अवसर प्रदान किया है तथा उनके नाजायज प्रभाव में आकर निर्णय व डिकी दिनांक 15.03.2022 प्रदान की है जिसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण सं. 1910 दिनांक 26.04.2022 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये है। अदालत मातहत में वादी/रेस्पो सं0 1 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत व गवाही प्रस्तुत नही की। अदालत मातहत ने बिना साक्ष्य व सबूत के निर्णय व डिकी दिनांक 15.03.2022 प्रदान की है जिसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण सं 1910 दिनांक 26.04.2022 निरस्त होने योग्य है। अंतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत नामान्तकरण संत्र 1910 दिनांक 26.04.2022 वाकै ग्राम पीपली तहसीलदार सूरजगढ निरस्त फरमाया जावे। खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 के नाम से एक दावा उनवानी राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी नायब तहसीलदार सूरजगढ बनाम अमरसिंह वगै0 प्रस्तुत किया गया। उक्त वादपत्र पर राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी नायब तहसीलदार सूरजगढ के हस्ताक्षर नही है वरन् उक्त वादपत्र पर तहसीलदार सूरजगढ के हस्ताक्षर है। उक्त वादपत्र को कानूनन नायब तहसीलदार सूरजगढ को तस्दीक करना आवश्यक था। इसके विपरीत वादपत्र पर हस्ताक्षर तहसीलदार सूरजगढ द्वारा किये गये है। इसी प्रकार वादपत्र को तस्दीक भी वादी नायब तहसीलदार सूरजगढ की जगह तहसीलदार सूरजगढ द्वारा किया गया है जबकि वादपत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र नायब तहसीलदार सत्यनारायण के नाम से तहसीलदार द्वारा बिना तस्दीकशुदा प्रस्तुत किया गया है। दावा कानूनी प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत होने के कारण रेस्पोडेन्ट का वादपत्र मेन्टेनेबल नही होने के कारण खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर नही कर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 23 ने तहसीलदार सूरजगढ से मिलकर दिनांक 23.11.2021 को हल्का पटवारी से एक झूठी व मनगढन्त टाईपशुदा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की। उक्त तथाकथित झूठी व मनगढन्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार सूरजगढ द्वारा अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष एक दावा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम अमरसिंह वगै0 बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177 व धारा 92क राजस्थान [illegible] के तहत दिनांक 24.11.2021 को तहसीलदार सूरजगढ के हस्ताक्षरशुदा प्रस्तुत किया [illegible] भूमि खसरा नम्बर 393 व 394 राजस्व रिकार्ड मे काबिल काश्त भूमि दर्ज [illegible] रूप से दुकान व अन्य अकृर्षि प्रयोजनार्थ दर्शा कर प्रस्तुत [illegible] रिपोर्ट अपीलान्ट को बिना सूचना दिये तैयार की गई है। ना ही फर्द मौका [illegible] गवाह के हस्ताक्षर है। फर्द मौका रिपोर्ट संदेह से परे नही है। अदालत मातहत ने फर्द मौका [illegible]र्ट दिनांक 23.11.2021 को आधार मानकर निर्णय व डिकी दिनांक 15.03.2022 के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 1910 दिनांक 26.04.2022 दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्व है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 हैक्टर व खसरा नम्बर 394 रकबा 1.30 हैक्टर कुल 1.55 हैक्टर भूमि के अपीलान्ट व स्वर्गीय श्रीमती रतन कंवर पत्नी मंगेज सिह रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अदालत मातहत का कोई सम्मन अपीलान्ट शेरसिह को प्राप्त नही हुआ। विवादित भूमि खसरा नम्बर 393 व खसरा नम्बर 394 के सह खातेदार प्रतिवादी सं. 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:26 IST
Reason: SelfAttested

रतन कंवर का स्वर्गवास दिनांक 11.07.2013 को हो चुका है। कानूनन मृतका रतन कंवर के विरूद्ध वादी को वाद दायर करने का कोई कानूनी अधिकार नही रहा है। वादी द्वारा मृतक रतन कंवर के वारिसान को भी वादपत्र में आवश्यक पक्षकार नही बनाकर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 द्वारा एक जवाबदावा बिना तारीख के इन्द्राज के प्रस्तुत किया गया है उक्त जवाबदावा पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने का व शामिल करने का कोई आदेश आदेशिका दिनांक 11.03.2022 व 15.03.2022 में नही किया गया है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 द्वारा प्रस्तुत उक्त तथाकथित जवाब दावा की कोई नकल अपीलान्ट व उनके अधिवक्ता को नही दी गई। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा तस्दीकशुदा नही है इस कारण जब तक जवाबदावा तस्दीकशुदा नही किया जा सकता है व ना ही उसको पढा जा सकता है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 ने माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैंप कोर्ट झुंझुनूं के समक्ष अपील उनवानी मृतक भगवानाराम वगै बनाम महाबीर सिह वगै मु0न0 91/21 व मु0न0 92/21 के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थगन पर उक्त न्यायालय द्वारा दिनांक 30.11.2021 को उभय पक्षकारान को भूमि खसरा नम्बर 393 व खसरा नम्बर 394 वाकै ग्राम पीपली के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबन्द किया अदालत हाजा द्वारा दिनांक 30.03.2022 को उक्त उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 25.05.2022 नियत कि गई रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 के अधिवक्ता द्वारा दोनो अपीलों में दिनांक 07.04.2022 को अदालत हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 30.11.2021 को विड्रा करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त आदेश दिनांक 07.04.2022 को अदालत हाजा द्वारा अपास्त करने के आदेश प्रदान किये उक्त स्थगन आदेश दिनांक 30.11.2021 से दिनांक 07.04.2022 तक प्रभावी रहा है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 को अदालत मातहत ने उनको अनुचित अवसर प्रदान किया है तथा उनके नाजायज प्रभाव में आकर निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2022 प्रदान की है जिसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण सं. 1910 दिनांक 26.04.2022 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये है। अदालत मातहत में वादी/रेस्पो सं0 1 द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत व गवाही प्रस्तुत नही की। अदालत मातहत ने बिना साक्ष्य व सबूत के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.03.2022 प्रदान की है जिसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण सं 1910 दिनांक 26.04.2022 निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री दीपांशु सांगवान द्वारा अदालती कार्य मे अनियमितितायें करने के कारण उनको निलम्बित भी किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत नामान्तकरण संत्र 1910 दिनांक 26.04.2022 वाकै ग्राम पीपली तहसीलदार सूरजगढ निरस्त फरमाया जावे। खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम पीपली के कम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1910 दिनांकित 26.04.2022 नियमानुसार स्वीकार किया गया है। अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण बाद जांच न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना मे नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। यदि प्रकरण मे धारा 177 की कार्यवाही गलत हुई है तो अपीलान्ट को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां से अनुतोष मिलेगा। नामान्तरकरण प्रकिया मे अदालत मातहत द्वारा कोई गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:26 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 23 ने अपनी बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम पीपली के कम मे भरा गया नामान्तरकरण संख्या 1910 दिनांकित 26.04.2022 नियमानुसार स्वीकार किया गया है। अदालत मातहत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण बाद जांच न्यायालय आदेशों की पालना मे नियमानुसार भरा गया है जिसमे कोई त्रुटि नही है। अपीलान्ट की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरकरण संख्या 1910 दिनांक 26.04.2022 भूमि वाके ग्राम पीपली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना मे नियमानुसार बाद जांच स्वीकार किया गया है। यदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दावे मे गलत अदालती प्रकिया अपनाई गई हे तो इस संबंध मे अपीलान्ट को अनुतोष इस न्यायालय से नही मिल सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारीज होने की स्थिति मे स्थगन आदेश दिनांक 23.05.2022 अपने आप निष्प्रभावी हो चुका है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.14 16:33:26 IST
Reason: SelfAttested